FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री जयसिंह निवासी ग्राम पोस्ट लौटोती तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 53 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना अधिकार अधि० 2005 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधि०(अति. जिला कलेक्टर) पाली से उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो कराने के निर्देश प्रदान करावें। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जो जरिए पत्रांक कोर्ट 2019/693 दिनांक 16/5/19 के लिखा गया। लोक सूचना अधि० (ADM) पाली ने अवगत कराया कि अधि० द्वारा वांछित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी (ADM.) पाली के पत्रांक 2559 दि० 14-5-2019 के जरिए अपीलार्थी को कुल पृष्ठ (5) तैयार कर उपलब्ध करवा दी गई है। लो० सू० अधि०(ADM) पाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतर एवं संलग्न पत्रों की छायाप्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे तथा प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलांट drop की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	785 7/6/19